आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :लखनऊ,तहसील :सरोजनीनगर
वाद सख्या :-17675/2018
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201810460517675
छत्रपति साहू जी महराज बनाम उ0प्र0सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता - 2006

न्यायालय असि0 कलेक्टर/उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर,लखनऊ

वाद संख्या- 330/18-19
धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006
ग्राम–सदरौना
परगना–बिजनौर
छत्रपति साहू जी महाराज बनाम उ0प्र0सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही छत्रपतिसाहूजी महराज एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक श्रीअवधेश सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी 554/647 छोटा बरहा आलमबाग जिला लखनऊ के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ की गयी। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि ग्राम सदरौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खाता संख्या 00290 पर अंकित गाटा संख्या 754 रकबा 0.568हे0 पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि कृषि प्रयोजन की नहीं है। कृषि या पशुपालन मत्स्यपालन कुक्कुटपालन बागवानी नही हो रही है। गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सरोजनीनगर से करायी गयी। तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या न्यायालय को प्राप्त हुई कि ग्राम सदरौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खाता संख्या 00290 पर अंकित गाटा संख्या 754 रकबा 0.568हे0 प पर छत्रपतिसाहूजी महराज एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक श्रीअवधेश सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी 554/647 छोटा बरहा आलमबाग जिला लखनऊ का नाम संक्रमणीय भूमिधर खतौनी मे अंकित है। उक्त भूमि पर कई वर्षो से कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन,बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। वांछित धनराशि 50600/–चालान संख्या जी सी 05187 दिनांक 12.07 2018 द्वारा जमा की गई जो पत्रावली के साथ संलग्न है। वाद दर्ज किया गया पक्षों को नोटिस जारी की गई कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या व संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। ग्राम सदरौना की खतौनी वर्ष 1420–1425 फसली तक के खाता संख्या 00290 पर अंकित गाटा संख्या 754 रकबा 0.568हे0 पर छत्रपतिसाहूजी महराज एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक श्रीअवधेश सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी 554/647 छोटा बरहा आलमबाग जिला लखनऊ नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी कार्य विगत कई वर्षो से नही किया जा रहा है। भूमि का उपयोग गैर कृषिक रूप में किया जा रहा है। भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति तहसीलदार सरोजनीनगर द्वारा की गयी है।

तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या व संलग्न अभिलेखों के आधार पर ग्राम सदरौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1420से 1425 फसली तक की खाता संख्या 00290 पर अंकित गाटा संख्या 754 रकबा 0.568हे0 मालगुजारी 60रु0 को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

Chandra

7/16/2018, 8:40 PM

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :लखनऊ,तहसील :सरोजनीनगर
वाद संख्या :-17675/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201810460517675
छत्रपति साहु जी महराज बनाम उ0प्र0सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय असि0 कलेक्टर/उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर,लखनऊ

वाद संख्या– 330/18-19
धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006
ग्राम–सदरौना
परगना–बिजनौर
छत्रपति साहू जी महाराज बनाम उ0प्र0सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही छत्रपतिसाहूजी महराज एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक श्रीअवधेश सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी 554/647 छोटा बरहा आलमबाग जिला लखनऊ के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ की गयी। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि ग्राम सदरौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खाता संख्या 00290 पर अंकित गाटा संख्या 754 रकबा 0.568हे0 पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि कृषि प्रयोजन की नहीं है। कृषि या पशुपालन मत्स्यपालन कुक्कुटपालन बागवानी नही हो रही है। गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सरोजनीनगर से करायी गयी। तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या न्यायालय को प्राप्त हुई कि ग्राम सदरौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खाता संख्या 00290 पर अंकित गाटा संख्या 754 रकबा 0.568हे0 प पर छत्रपतिसाहूजी महराज एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक श्रीअवधेश सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी 554/647 छोटा बरहा आलमबाग जिला लखनऊ का नाम संक्रमणीय भूमिधर खतौनी में अंकित है। उक्त भूमि पर कई वर्षो से कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन,बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। वंछित धनराशि 50600/–चालान संख्या जी सी 05187 दिनॉक 12.07 2018 द्वारा जमा की गई जो पत्रावली के साथ संलग्न है। वाद दर्ज किया गया पक्षों को नोटिस जारी की गई कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या व संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। ग्राम सदरौना की खतौनी वर्ष 1420–1425 फसली तक के खाता संख्या 00290 पर अंकित गाटा संख्या 754 रकबा 0.568हे0 पर छत्रपतिसाहूजी महराज एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक श्रीअवधेश सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी 554/647 छोटा बरहा आलमबाग जिला लखनऊ नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी कार्य विगत कई वर्षो से नही किया जा रहा है। भूमि का उपयोग गैर कृषिक रूप में किया जा रहा है। भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति तहसीलदार सरोजनीनगर द्वारा की गयी है।

तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या व संलग्न अभिलेखों के आधार पर ग्राम सदरौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1420से 1425 फसली तक की खाता संख्या 00290 पर अंकित गाटा संख्या 754 रकबा 0.568हे0 मालगुजारी 60रु को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

7/16/2018, 8:40 PM